

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर

दिनांक : 24, 06, 2025


क्रमांक / कोर्ट / 2025 / 724

तहसीलदार,
तहसील, रामपुरा डाबडी,
जयपुर।

विषय:—न्यायालय के प्रकरण संख्या 11/2024 गणेशनारायण बनाम भैरू वगै० में निर्णय व डिक्री दिनांक 17.06.2025 की पालना में पालना रिपोर्ट भिजवाने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वाद संख्या 11/2024 गणेशनारायण बनाम भैरू वगै० में निर्णय व डिक्री दिनांक 17.06.2025 की छायाप्रति संलग्न कर भिजवाई जा रही है। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो आप नियमानुसार निर्णय एवं डिक्री की पालना कर पालना रिपोर्ट अतिशीघ्र न्यायालय में भिजवायें।

संलग्न:—1. प्रतिलिपि निर्णय व डिक्री दिनांक 17.06.2025
2. कुर्रेजात मय नक्शा।


सहायक कलक्टर
आमेर मु० जयपुर



फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर नु0 जयपुर

गणेश नारायण खन्ना

11/2025

आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	दिनांक दिवस
-----------------	----------------------	-------------

30/25

पत्रावली आज दिनांक 30/5/25 को पेश हुई। फील्ड नुसार आज अवकाश पर दिनांक 10/6/25 को पेश हो।

10/6/25

पत्रावली पत्रावली वारी के क्रियान्वयन में दिनांक 12/6/25 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
आमेर म. जयपुर

12/6/25

पत्रावली पत्रावली वारी के क्रियान्वयन में दिनांक 16/6/25 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
आमेर म. जयपुर

16/6/25

पत्रावली आज दिनांक 16/6/25 को पेश हुई। दिनांक 17/6/25 को पेश हो।

17/6/25

पत्रावली पत्रावली वारी के क्रियान्वयन में दिनांक 21/06/2025 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
आमेर म. जयपुर

17/6/25

लंसीरपत्री
724
21.06.2025

उपर्युक्त पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मुआयना मौका किया गया एवं राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्डल) नियम-1955 के नियम-18 से 21 के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये:-

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख. नं.	रकबा (हेक्टे.)	किस्म	लगान
5	रामश्याम पुत्र भूराम सिंह-सम्पूर्ण जाति- राष्ट्र P.N.B शाक-करकड़नी का.डेह जिला	276/162/1	0.2200		
		274/161/2	0.1500		
		278/163/2	0.2700		
		282/229/8	0.0250		
		कुल किरा -	04	0.6650	
6	रामश्याम पुत्र भूराम सिंह-सम्पूर्ण जाति- का.डेह जिला राष्ट्र P.N.B. शाक- करकड़नी	274/161/3	0.2100		
		278/163/30	0.2900		
		280/213/20	0.1400		
		282/229/7	0.0250		
		कुल किरा -	04	0.6650	
7	रामनिवास पुत्र भूराम सिंह-सम्पूर्ण जाति- राष्ट्र P.N.B. शाक-करकड़नी का.डेह जिला	280/219/3	0.6400		
		282/229/6	0.0250		
		कुल किरा -	02	0.6650	
8	शिवलाल पुत्र भूराम सिंह-सम्पूर्ण जाति- राष्ट्र P.N.B शाक-करकड़नी का.डेह जिला	280/219/4	0.3060		
		282/229/20	0.3450		
		282/229/5	0.0250		
		कुल किरा -	03	0.6650	
9	गणेशनारायण पुत्र भूराम सिंह-सम्पूर्ण जाति- राष्ट्र P.N.B. शाक-करकड़नी का.डेह जिला	282/229/3	0.6400		
		282/229/4	0.025		
		कुल किरा -	02	0.6650	



नि. रामश्याम पुत्र
भूराम

रामनिवास
राष्ट्रभूमि

राम-नारायण


(नि. भेरु वर्ग मण्डल)


अन्य मौतविरान को भी उक्त विभाजन प्रस्ताव पढ़ कर सुनाये गये और निम्नप्रकार हस्ताक्षर गये:-

नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी/प्रतिवादी
-----	-------------	------	------	----------------

NEC

इस प्रकार आज दिनांक 23/04/25 को यह मौका रिपोर्ट तैयार की गई हैं:-


हस्ताक्षर
पटवारी
पटवार मण्डल


हस्ताक्षर
भू.अ.नि.
वृत्त खोरावीसल

हस्ताक्षर
नायब तहसीलदार


हस्ताक्षर
तहसीलदार
तह. रामपुराडीबड़ा जिला, जयपुर

संलग्न प्रस्तावित नक्शा कुर्रेजात व जमाबन्दी:-

न्यायालय :- सहायक कलक्टर आमेर,
मुख्यालय जयपुर (राज.)
पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या 11/2024

वाद प्रस्तुति दिनांक : 24.01.2024

गणेशनारायण पुत्र भूराराम जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम हरदत्तपुरा तहसील रामपुरा डाबडी जयपुर।

..... वादी

बनाम

1. भैरु पुत्र ग्यारसा
2. राधेश्याम पुत्र भूराराम
3. रामनारायण पुत्र भूराराम
4. रामनिवास पुत्र भूराराम
5. रामसहाय पुत्र भूराराम
6. श्रवणलाल पुत्र भूराराम



- समस्त जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम हरदत्तपुरा तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामपुरा डाबडी जिला जयपुर।
 8. उप पंजीयक रामपुरा डाबडी, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर।
 9. पंजाब नेशनल बैंक शाखा सरना डूंगर झोटवाडा जयपुर जरिये शाखा प्रबंधक।
 10. आईडीबीआई बैंक शाखा चंपापुरा जयपुर जरिये शाखा प्रबंधक।

.....प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत - 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम -1955

दिनांक 17.06.2025

हस्तगत वाद पत्र में वादी द्वारा अंकित किया गया है कि कृषि भूमि वाके ग्राम हरदत्तपुरा, पटवार हल्का खोराबीसल, भू-अभिलेख खोराबीसल, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 140 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, खसरा नंबर 142 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 143 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 144 रकबा 0.7000 हैक्टेयर, खसरा नंबर 164 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खसरा नंबर 277/163 रकबा 0.0300 हैक्टेयर 6 कुल रकबा 0.9500 हैक्टेयर तथा खसरा नंबर 271/148 रकबा 0.0900 हैक्टेयर, खसरा नंबर 274/161 रकबा 0.4100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 276/162 रकबा 0.3600 हैक्टेयर, खसरा नंबर 278/163 रकबा 0.7100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 280/219 रकबा 1.1900 हैक्टेयर, खसरा नंबर 282/229 रकबा 1.2600 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 4.0200 हैक्टेयर में वादी का हिस्सा 1/6 निहित हैं तथा शेष हिस्सा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी अनुसार प्रतिवादीगण के नाम दर्ज व अंकित चला आ रहा हैं। वादी उपरोक्त वर्णित खाते की उपरोक्त वर्णित रकबा भूमि में अपने हिस्से की भूमि पर रिकार्डेड खातेदार काश्तकार की हैसियत से निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे है और अपने हिस्से अनुसार राजस्व लगान अदा करते आ रहे हैं। उपरोक्त वर्णित खसरान् की भूमि को एतपश्चात् "वादअधीन कृषि भूमि" माना गया है। वाद अधीन कृषि भूमि का विधिक विभाजन नहीं हुआ है इसलिये वादी एवं प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से उक्त वर्णित रकबा भूमि पर निरन्तर काबिज चले आ रहें है। चूँकि वाद अधीन कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज एवं अंकित चली आ रही है इसलिये वादी ने

सहायक कलक्टर
आमेर जयपुर

समय-समय पर प्रतिवादीगण को वाद अधीन कृषि भूमि का बाई मीट्स एण्ड वाउण्ड्स के आधार पर विधिक विभाजन करवाने हेतु कहा। पूर्व में तो प्रतिवादीगण बाई मीट्स एण्ड वाउण्ड्स के आधार पर विधिक विभाजन करवाने हेतु हमी भरतें रहें परन्तु प्रतिवादीगण की नियत में फितुर आ गया है। अब प्रतिवादीगण बिना भूमि का विभाजन कराये ही भूमि को खुर्द बुर्द करने, निर्माण कार्य करने पर तुले हुये हैं। और वाद अधीन कृषि भूमि का विधिक विभाजन करवाये बिना ही वादग्रस्त आराजी को विक्रय हस्तान्तरण, खुर्द-बुर्द एवं प्लोटिंग कर विक्रय करने हेतु उत्तारु हो गये। जबकि विधि अनुसार जब तक संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि का विधिक विभाजन नहीं हो जाता है तब तक संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि का विक्रय-हस्तान्तरण एवं निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता है क्योंकि विधि अनुसार संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि के प्रत्येक इन्च भाग पर सह-हिस्सेदार काश्तकार का विधिक कब्जा एवं विधिक रिकार्डेड खातेदारी अधिकार निहित होते हैं। प्रतिवादीगण उक्त गैर कानूनी व विधि विरुद्ध तरीके से वादी को वाद अधीन कृषि भूमि के विशिष्ट भू-भाग से बेदखल करने एवं प्रतिवादीगण विशिष्ट भू-भाग पर कब्जा कर एवं विशिष्ट भू-भाग पर प्लोटिंग करके विक्रय हस्तान्तरण, खुर्द बुर्द करने पर उतारु है इस संबंध में वादी ने प्रतिवादीगण को दिनांक 09-01-2024 को वादअधीन भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स में विधिक विभाजन कराने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ने बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स में विधिक विभाजन कराने हेतु साफ इन्कार कर दिया तथा प्रतिवादीगण ने वादी को एलानियां धमकी दी कि वाद अधीन कृषि भूमि के विशिष्ट भू-भाग पर वह प्लॉट काटकर निर्माण करके, विक्रय हस्तान्तरण करेगें तथा उसके कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल कर दम लेगें। इसलिये तुम वाद अधीन कृषि भूमि के विशिष्ट भू-भाग से अपना कब्जा हटा लो अन्यथा बाहुबल के आधार पर तुमको बेदखल कर दिया जायेगा। जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार हासिल नहीं है। चूँकि वाद अधीन कृषि भूमि का विधिक विभाजन नहीं हुआ है इसलिये प्रतिवादीगण को वाद अधीन कृषि भूमि के विशिष्ट भू-भाग पर प्लोटिंग करने, विक्रय-हस्तान्तरण एवं खुर्द-बुर्द करने एवं वादी को विशिष्ट भू-भाग से बेदखल करने के कोई विधिक अधिकार हासिल नहीं है। चूँकि प्रतिवादीगण ने कानून को ताक में रख कर कानून को हाथ में लिया है। चूँकि प्रतिवादीगण गैर कानूनी तरीके से वादी को उसके खातेदारी व विधिक अधिकारों से वंचित करने पर तुले हुए है इसलिये वादी वाद अधीन कृषि भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स में विधिक विभाजन करवा कर अपने हिस्से की खातेदारी व कब्जा-काश्तशुदा कृषि भूमि को अपनी पृथक खातेदारी में दर्ज करवाने, राजस्व लगान एवं राजस्व नक्शा पृथक करवाने का अधिकारी है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों, परिस्थितियों के आधार पर वादी विधिक विभाजन की डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की प्राप्त करने का अधिकारी है कि वाद पत्र की मद नम्बर 1 में उल्लेखित राजस्व ग्राम हरदत्तपुरा पटवार क्षेत्र खोराबीसल, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खोराबीसल, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर की सरहद में कृषि भूमि खसरा नम्बरान् का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विधिक विभाजन किया जाकर उक्त भूमि में वादी के निहित हिस्सा को वादी की पृथक खातेदारी में दर्ज किया जाकर वादी के हिस्से का राजस्व लगान एवं राजस्व नक्शा पृथक किया जावें। वाद पत्र की मद नंबर 1 में उल्लेखित राजस्व ग्राम हरदत्तपुरा पटवार क्षेत्र खोराबीसल, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खोराबीसल, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर की सरहद में कृषि भूमि खसरा नम्बरान् का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विधिक करवाये बिना, उक्त खसरा की भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को

किसी भी प्रकार से बैचान हस्तान्तरण, अनुबन्ध, बख्शीश, वसीयत, रहन, मोरगेज इत्यादि करने एवं ऐसे किसी भी लेख्य पत्र का पंजीयन करने से निषेध रहे तथा वादी के शान्तिपूर्वक उपयोग-उपभोग, कब्जा-काश्त में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी, हस्तक्षेप, बाधा, रुकावट, मदाखलत, मजाहमत इत्यादि करने, विशिष्ट भू-भाग पर कच्चा पक्का निर्माण करने, हरे पेड़ काटने से निषेध रहें तथा अपने-अपने परिवारजनों, एजेण्ट, प्रतिनिधि, सर्वेण्ट इत्यादि को भी निषेध रखें तथा राजस्व रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनायीं रखें। चूँकि प्रतिवादीगण अपनी गैर कानूनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं इसलिये वादी को अपने खातेदारी अधिकारों की सुरक्षार्थ माननीय न्यायालय हाजा में यह दावा प्रस्तुत करने हेतु मजबूर होना पडा है और चूँकि वाद अधीन कृषि भूमि में वादी के खातेदारी अधिकार निहित हैं इसलिये वादी के खातेदारी अधिकार को कानूनी संरक्षण प्रदान किया जाकर प्रतिवादीगण को वॉछित स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया। प्रतिवादी संख्या 8 व 9 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर दिनांक 05.03.2024 को इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के अधिवक्ता जवाब दावा पेश करना नहीं चाहने पर उनके जवाब दावे का अवसर बंद किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के अधिवक्ता के निवेदन किया कि वाद बंटवारे से संबंधित है तथा पक्षकारान के मध्य बंटवारा होना है अतः प्राथमिक डिक्री जारी कर दी जायें। प्राथमिक डिक्री पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वाद बाई मीट्स एंड बाउंड्स के आधार पर दिनांक 05.03.2024 को प्राथमिक डिक्री किया गया। तहसीलदार रामपुरा डाबडी को कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर भिजवाने हेतु आदेशित किया गया। कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त होने पर उभयपक्ष को बहस हेतु अवसर दिया गया। प्रतिवादीगण बार- बार अनुपस्थित रहे अतः गुणावगुण के आधार पर कुर्रेजात व बहस का अवलोकन किया गया। तहसीलदार रामपुरा डाबडी से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है :-

1. भैरु पुत्र ग्यारसा हि. 1/2, गणेशनारायण पुत्र भूराराम हि. 1/12 राहिन पी.एन.बी. शाखा सरना डूंगर, राधेश्याम पुत्र भूराराम हि. 1/12 राहिन पी.एन.बी. शाखा सरना डूंगर, रामनारायण पुत्र भूराराम हि. 1/12 राहिन पी.एन.बी. शाखा सरना डूंगर, रामनिवास पुत्र भूराराम हि. 1/12 राहिन आई.डी.बी. आई. बैंक लिमिटेड शाखा चंपापुरा, रामसहाय पुत्र भूराराम हि. 1/12 राहिन पी.एन.बी. शाखा सरना डूंगर, श्रवणलाल पुत्र भूराराम हि. 1/12 राहिन पी.एन.बी. शाखा सरना डूंगर समस्त जाति बागडा ब्राह्मण सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 140/2 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नंबर 144/2 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नंबर 164 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 277/163 रकबा 0.03 हैक्टेयर कुल कित्ता 4 कुल रकबा 0.29 हैक्टेयर भूमि रहेगी।


गणेशनारायण पुत्र भूराराम हि. 1/6 राहिन पी.एन.बी. शाखा सरना डूंगर, राधेश्याम पुत्र भूराराम हि. 1/6 राहिन पी.एन.बी. शाखा सरना डूंगर, रामनारायण पुत्र भूराराम हि. 1/6 राहिन पी.एन.बी. शाखा सरना डूंगर, रामनिवास पुत्र भूराराम हि. 1/6 राहिन आई.डी.बी.आई. बैंक लि. शाखा चंपापुरा, रामसहाय पुत्र भूराराम हि. 1/6 राहिन पी.एन.बी. शाखा सरना डूंगर, श्रवणलाल पुत्र भूराराम हि. 1/6 राहिन पी.एन.बी. शाखा सरना डूंगर समस्त जाति बागडा ब्राह्मण सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 271/148/1 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 276/162/1 रकबा 0.04 हैक्टेयर,

- खसरा नंबर 274/161/1 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नंबर 280/219/1 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नंबर 282/229/1 रकबा 0.13 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
3. भैरुराम पुत्र ग्यारसा हि. संपूर्ण जाति बागडा ब्राह्मण सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 140/1 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 142 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 144/1 रकबा 0.28 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
4. राधेश्याम पुत्र भूराराम हि. संपूर्ण राहिन पी.एन.बी. शाखा सरना डूंगर जाति बागडा ब्राह्मण सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 282/209/9 रकबा 0.025 हैक्टेयर, खसरा नंबर 144/3 रकबा 0.32 हैक्टेयर, खसरा नंबर 143 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 271/148/2 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नंबर 276/162/2 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नंबर 278/163/1 रकबा 0.15 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 0.6650 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
5. रामसहाय पुत्र भूराराम हि. संपूर्ण जाति बागडा ब्राह्मण राहिन पी.एन.बी. शाखा सरना डूंगर के हिस्से खसरा नंबर 276/162/3 रकबा 0.2280 हैक्टेयर, खसरा नंबर 274/161/2 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 278/163/2 रकबा 0.2700 हैक्टेयर, खसरा नंबर 282/229/8 रकबा 0.0250 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.6650 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
6. रामनारायण पुत्र भूराराम हि. संपूर्ण जाति बागडा ब्राह्मण सा. देह खातेदार राहिन पी.एन.बी. शाखा सरना डूंगर के हिस्से खसरा नंबर 274/161/3 रकबा 0.2100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 278/163/3 रकबा 0.2900 हैक्टेयर, खसरा नंबर 280/219/2 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, खसरा नंबर 282/229/7 रकबा 0.0250 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.6650 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
7. रामनिवास पुत्र भूराराम हि. संपूर्ण जाति बागडा ब्राह्मण राहिन आई.डी.बी.आई. लि. चंपापुरा सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 280/219/3 रकबा 0.6400 हैक्टेयर, खसरा नंबर 282/229/6 रकबा 0.0250 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.6650 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
8. श्रवणलाल पुत्र भूराराम हि. संपूर्ण जाति बागडा ब्राह्मण राहिन पी.एन.बी. शाखा सरना डूंगर सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 280/219/4 रकबा 0.3000 हैक्टेयर, खसरा नंबर 282/229/2 रकबा 0.3400 हैक्टेयर, खसरा नंबर 282/229/5 रकबा 0.0250 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.6650 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
9. गणेशनारायण पुत्र भूराराम हि. संपूर्ण जाति बागडा ब्राह्मण राहिन पी.एन.बी. शाखा सरना डूंगर सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 282/229/3 रकबा 0.6400 हैक्टेयर, खसरा नंबर 282/229/4 रकबा 0.025 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.6650 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

तहसीलदार रामपुरा डाबडी से प्राप्त कुर्रजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष को मुताबिक निर्णय अनुसार जरिये रथाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार रामपुरा डाबडी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।




सहायक कलक्टर
आमेर मु० जयपुर

अन्तिम डिक्री मुकद्दमा इब्तादाई
(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस

नियमित वाद संख्या 11/2024

वाद प्रस्तुति दिनांक : 24.01.2024

गणेशनारायण पुत्र भूराराम जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम हरदत्तपुरा तहसील रामपुरा डाबडी जयपुर।
..... वादी

बनाम

1. भैरु पुत्र ग्यारसा
2. राधेश्याम पुत्र भूराराम
3. रामनारायण पुत्र भूराराम
4. रामनिवास पुत्र भूराराम
5. रामसहाय पुत्र भूराराम
6. श्रवणलाल पुत्र भूराराम



7. समस्त जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम हरदत्तपुरा तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामपुरा डाबडी जिला जयपुर।
9. उप पंजीयक रामपुरा डाबडी, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर।
10. पंजाब नेशनल बैंक शाखा सरना डूंगर झोटवाडा जयपुर जरिये शाखा प्रबंधक।
11. आई.डी.बी.आई बैंक शाखा चंपापुरा जयपुर जरिये शाखा प्रबंधक।

.....प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत - 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम -1955

तहसीलदार रामपुरा डाबडी से प्राप्त कुर्रजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है:-

1. भैरु पुत्र ग्यारसा हि. 1/2, गणेशनारायण पुत्र भूराराम हि. 1/12 राहिन पी.एन.बी. शाखा सरना डूंगर, राधेश्याम पुत्र भूराराम हि. 1/12 राहिन पी.एन.बी. शाखा सरना डूंगर, रामनारायण पुत्र भूराराम हि. 1/12 राहिन पी.एन.बी. शाखा सरना डूंगर, रामनिवास पुत्र भूराराम हि. 1/12 राहिन आई.डी.बी. आई. बैंक लिमिटेड शाखा चंपापुरा, रामसहाय पुत्र भूराराम हि. 1/12 राहिन पी.एन.बी. शाखा सरना डूंगर, श्रवणलाल पुत्र भूराराम हि. 1/12 राहिन पी.एन.बी. शाखा सरना डूंगर समस्त जाति बागडा ब्राह्मण सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 140/2 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नंबर 144/2 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नंबर 164 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 277/163 रकबा 0.03 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.29 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
2. गणेशनारायण पुत्र भूराराम हि. 1/6 राहिन पी.एन.बी. शाखा सरना डूंगर, राधेश्याम पुत्र भूराराम हि. 1/6 राहिन पी.एन.बी. शाखा सरना डूंगर, रामनारायण पुत्र भूराराम हि. 1/6 राहिन पी.एन.बी. शाखा सरना डूंगर, रामनिवास पुत्र भूराराम हि. 1/6 राहिन आई.डी.बी.आई. बैंक लि. शाखा चंपापुरा, रामसहाय पुत्र भूराराम हि. 1/6 राहिन पी.एन.बी. शाखा सरना डूंगर, श्रवणलाल पुत्र भूराराम हि. 1/6 राहिन पी.एन.बी. शाखा सरना डूंगर समस्त जाति बागडा ब्राह्मण सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 271/148/1 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 276/162/1 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 274/161/1 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नंबर 280/219/1 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नंबर 282/229/1 रकबा 0.13 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
3. भैरु पुत्र ग्यारसा हि. संपूर्ण जाति बागडा ब्राह्मण सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 140/1 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 142 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 144/1 रकबा 0.28 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
4. राधेश्याम पुत्र भूराराम हि. संपूर्ण राहिन पी.एन.बी. शाखा सरना डूंगर जाति बागडा ब्राह्मण सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 282/209/9 रकबा 0.025 हैक्टेयर, खसरा नंबर 144/3 रकबा 0.32 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

सहायक कुलकर्ता
भैरु पुत्र ग्यारसा
आमेर म. जयपुर

- हैक्टेयर, खसरा नंबर 143 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 271/148/2 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नंबर 276/162/2 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नंबर 278/163/1 रकबा 0.15 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 0.6650 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
5. रामसहाय पुत्र भूराराम हि. संपूर्ण जाति बागडा ब्राह्मण राहिन पी.एन.बी. शाखा सरना डूंगर के हिस्से खसरा नंबर 276/162/3 रकबा 0.2280 हैक्टेयर, खसरा नंबर 274/161/2 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 278/163/2 रकबा 0.2700 हैक्टेयर, खसरा नंबर 282/229/8 रकबा 0.0250 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.6650 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
6. रामनारायण पुत्र भूराराम हि. संपूर्ण जाति बागडा ब्राह्मण सा. देह खातेदार राहिन पी.एन.बी. शाखा सरना डूंगर के हिस्से खसरा नंबर 274/161/3 रकबा 0.2100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 278/163/3 रकबा 0.2900 हैक्टेयर, खसरा नंबर 280/219/2 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, खसरा नंबर 282/229/7 रकबा 0.0250 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.6650 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
7. रामनिवास पुत्र भूराराम हि. संपूर्ण जाति बागडा ब्राह्मण राहिन आई.डी.बी.आई. लि. चंपापुरा सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 280/219/3 रकबा 0.6400 हैक्टेयर, खसरा नंबर 282/229/6 रकबा 0.0250 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.6650 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
8. श्रवणलाल पुत्र भूराराम हि. संपूर्ण जाति बागडा ब्राह्मण राहिन पी.एन.बी. शाखा सरना डूंगर सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 280/219/4 रकबा 0.3000 हैक्टेयर, खसरा नंबर 282/229/2 रकबा 0.3400 हैक्टेयर, खसरा नंबर 282/229/5 रकबा 0.0250 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.6650 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
9. गणेशनारायण पुत्र भूराराम हि. संपूर्ण जाति बागडा ब्राह्मण राहिन पी.एन.बी. शाखा सरना डूंगर सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 282/229/3 रकबा 0.6400 हैक्टेयर, खसरा नंबर 282/229/4 रकबा 0.025 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.6650 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

तहसीलदार रामपुरा डाबडी से प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष को मुताबिक निर्णय अनुसार जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार रामपुरा डाबडी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 17.06.2025 को जारी किया।

दस्तख्त—
ओहदा—



Bm
सहायक कलक्टर
आमेर मु० जयपुर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	—	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	—
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	—	स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	—
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमि		
बबत् इजराय हुक्मानामा	4 रूपये		शनर	4 रूपये	
मुत्फरित			बबत् इजराय हुक्मानामा		
मीजान			मुत्फरित		
			मीजान		

Bm
सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर